पत्रांक ....225 (प्र०)..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर॰ के॰ सिंह

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया।

जिला पदाधिकारी,

सुपौल/ मधेपुरा/ सरहसा/ अररिया एवं पूर्णिया

पटना-15, दिनांक- 6/9/08

महाशय,

कृपया आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 202 प्र0/आ0प्र0 दिनांक 05.09.08 का निदेश करें। बहुत प्रयास करने पर भी कई लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अभी निकलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यह भी सूचना है कि कुछ लोग; यह देख कर कि अब पानी कम हो गया है राहत कैम्पों से वापस प्रभावित क्षेत्र मे जा रहे हैं। पोस्टर, रेडियो तथा अन्य माध्यमों के द्वारा लोगों को यह समझाया जा रहा है कि यह नदी की नई धार है, पानी कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए वे अभी कैम्प से वापस नहीं जाएँ परन्तु फिर भी संभावना है कि कुछ लोग प्रभावित क्षेत्र से नहीं निकलेंगे एवं पानी बढ़ने पर उनके evacuation की आवश्यकता होगी। अत: उपरोक्त पत्र में यह निदेश दिया गया था कि evacuation के लिए की गई व्यवस्था अगले आदेश तक बनी रहेगी जबतक कि यह सुनिश्चित न हो जाय कि नदी की नई धारा में जलस्तर बढ़ने वाला नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित निदेश दिये जा रहे हैं:-

1. तत्काल, जबतक पानी कम है; evacuation के लिए प्रतिनियुक्त सभी यूनिट अपने साथ संबद्ध पंचायतों की विस्तृत एरिया familiarization कर लेंगे ताकि पुन: निष्क्रमण का कार्य प्रारंभ करने मे कोई कठिनाई न हो।

2. जिला दण्डाधिकारी निष्क्रमण हेतु प्रतिनियुक्त यूनिट से विमर्श कर उनके ऑपरेशन सेन्टर को ऐसी जगह बदल सकते हैं जो कि उनके जिम्मेवारी क्षेत्र के ज्यादा नजदीक हो। अबतक के अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट हो गया होगा कि किस स्थान से अधिकतम प्रभावित पंचायत/गांव में पहुंचा जा सकता है और किस मार्ग से। इस अनुभव के आधार पर strategy

एवं tactic दोनों को सेना, एन0डी0आर0एफ0 के प्रभारी अधिकारियों के साथ विमर्श कर निश्चित किया जाय।

3. प्रथम चरण मे अनुभव हुआ कि सैलाब आने पर प्रखंड स्तर पर पंचायतो तथा नीचे स्तर के कर्मचारियों अर्थात् पंचायत सचिव, कर्मचारी, जनसेवकों का मोबलाईजेशन नहीं हो सका। इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाये जाएँ।

4. प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी पंचायत के मुखियों की बैठक करें और उनके साथ मिलकर तैयारी करें कि नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित मुखिया ऊँचे स्थानों पर कार्यालय स्थापित करें। इसी प्रकार प्रखंड के अन्य कर्मचारियों के साथ यह व्यवस्था कर लिया जाएगा कि जलस्तर बढ़ने पर प्रखण्ड कार्यालय कहां से कार्यरत रहेगा एवं सभी पंचायत सचिव, जनसेवक एवं अन्य कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा area supervisor से तुरन्त सम्पर्क कर निदेश प्राप्त करें। जो कर्मचारी आपदा के समय नहीं उपस्थित रहे उन्हें तुरन्त निलम्बित कर दिया जाय।

5. कर्मचारी एवं जनसेवक को ऑपरेशनल सेन्टर के साथ संबद्ध किया जाय जिससे कि वे बचाव एवं राहत दलों के गाईड का कार्य कर सकें।

6. भविष्य मे नदी में पानी बढ़ने की हालत में प्रभावित क्षेत्र के लोगों को चेतावनी देने से संबंधित निदेश, जो पत्रांक-206(प्र0)/आ0प्र0 दिनांक-05.09.08 द्वारा निर्गत किये गये हैं का भी स्मरण करें। चेतावनी त्वरित गति से निर्गत हो इसके लिए निम्न कार्रवाई की जा सकती है:-

(क) प्रत्येक ऑपरेशन सेंटर पर एक मोटर बोट, लाउडस्पीकर एवं कर्मचारियों के साथ प्रतिनियुक्त रहे।

(ख) जहां जहां सड़क से जाया जा सकता है वहां के लिए लाउडस्पीकर के साथ वाहन प्रतिनियुक्त हो।

(ग) पंचायत/ग्रामस्तर पर मोबाइल फोन उपलब्ध है। ग्रामवार इनका डाटाबैंक तैयार करा लिया जाय। टेलीफोन विभाग की सहायता प्राप्त कर एसएमएस के माध्यम से भी ऐसी सूचना प्रसारित कराई जा सकती है।

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि बचाव एवं राहत कार्य से संबंधित strategy एवं tactic दोनों को ही सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कृपया पूर्व में भेजे गये कार्य योजना को तद्नुसार संशोधित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव